सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एम. जेड. रहमान, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 06/2018 दिनांक 30.08.2018

O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 21913
Date 31 OCT 2018
AGM(IT)
SE (O)/SE
EE web
Section

श्री सत्यम गुप्ता
शारदा दुग्ध डेयरी के बाजू में
शिवपारा, दुर्ग (छ.ग.)
पिन–491001

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 24.10.2018 को पारित)

अपीलार्थी श्री सत्यम गुप्ता की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 06/2018 दिनांक 30.08.2018 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सत्यम गुप्ता ने प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई थीः–

i. छ.रा.वि.कंपनीज में सहायक अभियंता (सिविल) के विभिन्न श्रेणी यथा सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति में कितने पद रिक्त है, कृपया वर्गवार जानकारी (पदोन्नति, विभागीय भर्ती एवं सीधी भर्ती द्वारा पृथक आंकड़ा)।
ii. 2011 से अब तक सहायक अभियंता (सिविल) के रिक्त पदों का पदोन्नति, विभागीय भर्ती अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से क्यों नही भरा जा सका है।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी से अपीलार्थी असंतुष्ट है। अतः अपील प्रस्तुत है, अतएव विषयांतर्गत वांछित जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।

(3) उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र.–06/2018/2277 दिनांक 18.09.2018 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को **दिनांक 25.09.2018** को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री गुप्ता को भी

उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतएव प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही संपन्न नहीं की जा सकी।

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष रखने का समुचित (अंतिम अवसर) प्रदान करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01—02/अ.अ./प्र.क्र.—06/2018/23 दिनांक 15.10.2018 के माध्यम से अपील प्रकरण की सुनवाई पुनः दिनांक 24.10.2018 को सांय 04:00 बजे निर्धारित करते हुए दोनो पक्षों को सूचित किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। चुंकि अपीलार्थी को पक्ष प्रतिरक्षण प्रस्तुत करने का समुचित (02) अवसर दिये जाने पर भी वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, अतएव अपील के तथ्यों के आधार पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई बिन्दुवार जानकारी प्रबंधक (मा.सं.) —छः/आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभागों द्वारा कुल 03 छायापृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई। तत्पश्चात् कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1980 दिनांक 08.08.2018 के माध्यम से आवेदक को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत रूपये 2/—प्रतिपृष्ठ की दर से 03 छायापृष्ठों की जानकारी हेतु कुल रूपये 06/—मात्र का अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान करने बाबत् निर्धारित समयावधि के भीतर सूचित किया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान किये जाने के उपरांत उन्हें कुल 03 छायापृष्ठों की जानकारी पत्र क्रमांक 2100 दिनांक 25.08.2018 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है। अतः अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत की अनुपालन अपेक्षित हैं। इसलिये अपीलीय अधिकारी के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नही, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे। यद्यपि अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि जिस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का अपील आवेदन तर्क कि जनसूचना अधिकारी द्वारा मूल आवेदन में पूछे गये विभागीय भर्ती के रिक्त पदों के विवरण के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय क्रमांक CIC/SG/A/2008/00347+00277/1554 में केवल इस आधार पर आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रश्न में ''क्यों'' शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

आदेश में स्पष्ट है कि यदि आवेदन में क्यों, कैसे, क्या आदि शब्दों का इस्तेमाल कर कोई जानकारी मांगी गई हो तो तत्संबंध में जो भी दस्तावेज है उन्हें प्रदान की जावे।

(iii) उक्ताशय के प्रत्युत्तर में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कंडिका 02/टीप में वांछित बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, जो निम्नानुसार है :–

a) **बिन्दु क्रमांक 01** –दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में सहायक यंत्री (सिविल) संवर्ग में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के 02 बैकलॉग पद रिक्त है। दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में सामान्य वर्ग के एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कोई भी पद पदोन्नति हेतु रिक्त नहीं है। एवं सहायक अभियंता (प्रशिक्षु) पद पर सीधी भर्ती के संवर्गवार, श्रेणीवार रिक्त पदों की जानकारी विज्ञापन क्रमांक 1762 दिनांक 18.07.2018 से प्राप्त की जा सकती है। विभागीय भर्ती के रिक्त पदों हेतु परिपत्र जारी किया जाना है।

b) बिन्दु क्रमांक 02 – भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के परिपत्र ज्ञापन क्रमांक 1/7/2009–आई.आर. दिनांक 01.06.2009 के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम में यथा परिभाषित शब्द सूचना में ''क्यों'' का जवाब, किसी प्रकार का कारण, व्याख्या, आदि देने की बाध्यता नहीं है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 4/टीप में जो जानकारी/दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है, वह उचित एवं कंडिका 5 (iii) में दिये गये प्रत्युत्तर, अपीलार्थी की शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं, जो तर्कसंगत है। अतएव प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह न्याय संगत है, जो स्वीकार योग्य है।

जहॉ तक कंडिका क्रमांक 05 (ii), एवं (iii) b का प्रश्न है उक्त कंडिका में अपीलार्थी द्वारा जानकारी प्रश्न उत्तर के रूप में चाही गई है, अतएव अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रश्नवाचक शब्द ''क्यों'' की जानकारी दिया जाना बाध्यकारी नहीं है।

प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा कंडिका 2 (i) में वांछित प्रथम बिन्दु की जानकारी यथा विभागीय भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी जो वर्तमान में अपीलार्थी को उपलब्ध करायी जा सकती है। अतएव प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावें। इसी अनुक्रम में कंडिका क्रमांक 2 (ii) में वांछित जानकारी में ''क्यों'' जैसे **प्रश्नवाचक** शब्द समाहित है, जिसका उत्तर दिया जाना अधिनियम के अंतर्गत बाध्यकारी नही है।

उपरोक्त कंडिका 06 के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 06/2018 दिनांक 30.08.2018) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –06/2018/ 32 **रायपुर, दिनांक 24/10/2018**

प्रतिलिपिः–

1 जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 प्रबंधक (मा.सं.)–छः, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3 प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित – उपरोक्त जानकारी जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4 **श्री सत्यम गुप्ता शारदा दुग्ध डेयरी के बाजू में शिवपारा, दुर्ग जिला–दुर्ग (छ0ग0)** पिन नबंर– 491001 को सूचनार्थ प्रेषित।

5 मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष–0771–2512106,2512108

(एम.जेड.रहमान)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700